EAST CENTRAL RAILWAY

EAST CENTRAL RAILWAY/ HQ

Digitally Signed.
Name: RAJEEV RANJAN (OSCRSZ)
Date: 20-Aug-2025 17:01:17
Location: ECRZ/ECR

ID: 2025567783

Office Order No. : NG/43 OF 2025

Office Of: प्रधान वित्त सलाहकार कार्यालय /पूमरे/हाजीपुर

Date : 20-08-2025

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त SO(A) ग्रुप मे Appendix-3 (IREM)-2024 परीक्षा उत्तीर्ण नीचे उल्लेखित कर्मचारियों को अनंतिम रूप से Sr.SO(A), ग्रेड वेतन 4800/- लेवल-8 के पद पर तत्काल प्रभाव से पदोन्नत करते हुए पदोन्नति के उपरांत उन्हें उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में पदस्थापना के आदेश जारी किये जाते हैं:-

Sr No.	Name / HRMS ID / Employee No / Community	Sub Type / W.E.F	Existing Particular	Revised Particular	Remarks
			Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay	Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay	
1	MURARI KUMAR SINGH / NZCRAG / 00929800326 / GEN	Regular Promotion / 20-08-2025	ACCOUNTS / SR.ACCOUNTANT ECR / ECRZ / HJP / FA&CAO/TA/ECR/HJP / 3001023 6 / 39900	ACCOUNTS / SENIOR SECTION OFFICER (ACCOUNT) /SR SO(A) ECR / ECRZ /HJP / FA&CAO/TA/ECR/HJP 3001023 8 / Will be fixed later	पदोन्नति उपरांत उप विसमुलेधि /यातायात कार्यालय / हाजीपुर में पदस्थापना के आदेश जारी किया जाता है	

1. किसी कर्मचारी के द्वारा पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में उनका लिखित आवेदन एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को नियत्रक अधिकारी के माध्यम से अग्रेषित किया जाये | ऐसे मामले में. IREM Vol I के पैर 224 के अनुसार उन्हें पदोन्नति हेतु अगले एक वर्ष तक वंचित माना जायेगा |
2. पदोन्नत कर्मचारी वेतन निर्धारण हेतु कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं | विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में नियन 1313 (FR-22) IR-II के अनुसार वेतन का निर्धारण किया जायेगा |
3. उपरोक्त पदोन्नति कार्यप्रभारित पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के कारण उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध है | अतः कार्यप्रभारित पदों के संचालन में कमी आने या प्रतिनियुक्ति या पूमरे संवर्ग से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के पू.म.रे. में वापस आने पर रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में आवश्यकतानुसार निम्नतम वरीयता पर पदोन्नत कर्मचारी को पदावनत किया जा सकता है |
4. पदोन्नति का लाभ प्रदान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उक्त कर्मचारी के विरुद्ध निलंबन/डी.ए.आर. का केस न चल रहा हो |
5. पदस्थापन/कार्यमुक्त प्राधिकार से इस कार्यालय को तत्काल सूचित किया जाये |
6. यह पदोन्नति आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित SLP(C) 30621/2011 एवं SLP(C) 31288/2017 में पारित किये जाने वाले आदेश के आलोक में परिवर्तनीय होगा |

[प्राधिकार: मिसिल संख्या: ECR/HQ0ACCT(MISC)/9/2020 Note/176]

राजीव रंजन
सविस/प्रशासन
पूमरे/हाजीपुर

File Reference No. :प्राधिकार: मिसिल संख्या: ECR/HQ0ACCT(MISC)/9/2020

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. विसमुलेधि/या.एवं का./हाजीपुर
2. उप.विसमुलेधि/सामान्य/हाजीपुर
3. उप.विसमुलेधि/यातायात/हाजीपुर
4. वरि.ई.डी.पी.एम./हाजीपुर
5.सविस/प्रशा./हाजीपुर
6. सचिव/ई.सी.आर.ई.यू./एस.सी. , एस.टी. एवं ओबीसी/हाजीपुर
7. सम्बंधित कर्मचारी
8. सुचना पट |

राजीव रंजन
सविस/प्रशासन
पूमरे/हाजीपुर

Annexure attached : 0 Pages